न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता धतरवाल (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

दावा नम्बर 116 / 2013

1. श्याम सुन्दर पुत्र श्री गुलझारी निवासी चबुतरा चौक, झुंझुनू
2. विद्याधर पुत्र श्री गुलझारी निवासी चबुतरा चौक, झुंझुनू
3. मातादीन पुत्र श्री गुलझारी निवासी चबुतरा चौक, झुंझुनू
4. आत्माराम पुत्र श्री रिछपाल निवासी गुरूकृपा अपार्टमेन्ट कारूड़िया रोड़ झुंझुनू
5. विनोद कुमार पुत्र रिछपाल निवासी मोदी रोड़ झुंझुनू।
6. हरिराम पुत्र श्री बैजनाथ निवासी मोदी रोड़ झुंझुनू।

वादीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री जमनाधर निवासी पुराना जिला परिषद भवन वार्ड नम्बर 38 झुंझुनू।
2. सुरेशकुमार पुत्र श्री मदनलाल टीबड़ेवाल निवासी मोदी रोड़ झुंझुनू।
3. चण्डीप्रसाद पुत्र श्री मदनलाल निवासी कारूडिया रोड़ झुंझुनू।
4. जुगलकिशोर पुत्र श्री बसन्तलाल टीबड़ेवाल निवासी चबुतरा चौक झुंझुनू।
5. अंकित पुत्र कृपाशंकर जाति महाजन निवासी बी 71, नेबुला अपार्टमेन्ट, होटल ग्रान्ड भगवती के पास बोडक देव अहमदाबाद, गुजरात।
6. अविनाश पुत्र श्री सुभाषचन्द्र निवासी गुरू कृपा अपार्टमेन्ट कारूडिया रोड़ झुंझुनू।
7. नवरंगलाल पुत्र स्व. लादुराम जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 1 स्कीम न. 8, गांधी पथ क्वीन्स रोड़, जयपुर ।
8. रतनलाल पुत्र स्व. लादुराम जाति महाजन निवासी मोदी रोड़ झुंझुनू।
9. अनुराग पुत्र स्व. श्री सुभाषचन्द्र निवासी गुरूकृपा अपार्टमेन्ट कारूडिया रोड़ झुंझुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं विभाजन हुक्त इम्तनाई अ.धा. 53,88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मदन सिहं गिल – अधिवक्ता – वादीगण की ओर से।
2. श्री धीरज कुमार– अधिवक्ता – प्रतिवादीगण 5 लगायत 9 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – प्रतिवादी 10 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 12.10.2017

वादी वादीगण दिनांक 31.03.2015 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर करते हुये डिक्री किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को 500 रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताबिक निर्णय व डिक्री अनुसार पक्षकारान के घोषित हक हिस्से अनुसार मौके पर भौतिक बंटवारा का प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। तहसीलदार झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2017/2576 दिनांक 18.09.2017 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया। वकील पक्षकारान की सहमति पर विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया व विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री अनुसार है। अतः वादी वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपसी समझौता पत्र के अनुसार डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव व आपसी समझौता पत्र निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुसार मिन नम्बरान में संशोधित करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)

(अनिता धत्तरवाल)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राजस्थान)